25% स्टाक मई, 1989 के दौरान बेच दें तथा जून, से सितम्बर, 1989 तक के बाद संबंधित महीनों के दौरान के प्रत्येक महीने के लिए 30 स्टाक की बिक्री करें।

(4) एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में लाइसेंसशुदा व्यापारियों के पास चीनी का स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल और एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के मामले में यह सीमा 250 क्विंटल से घटाकर 125 क्विंटल कर दी गई है। स्टाक को निकालने की अवधि भी 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है।

देश में खण्डसारी व्यापारियों के मामले में स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल कर दी गई है।

(5) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं और चीनी, खंडसारी तथा गड़ के व्यापारियों पर लाग विभिन्न विनियामक नियंत्रणों को लागू करना सुनिश्चित करें।

(6) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों से कहा गया है कि यदि नेपाल और बंगलादेश को चीनी, गुड़ और खंडसारी की तस्करी की जाती है तो वे उसे रोकें।

(7) चूककर्ता मिलों के विरुद्ध उपचारी कार्रवाई करने के लिए चीनी मिलों द्वारा साप्ताहिक प्रेषणों पर नजर रखी जाती है।

(8) उद्योग के परामर्श से दिल्ली [illegible] सुधार न्यास, केन्द्रीय भण्डार और दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम आदि जैसे सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिये तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कछ शहरों में उद्योग द्वारा विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर 7.75 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी की बिक्री करने के प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

राज्य सरकारों को उचित दामों पर चीनी की बिक्री करने के लिए इसी प्रकार के प्रबंध करने का परामर्श दिया गया है।

(9) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में उसी शहर अथवा शहरी क्षेत्र के अंदर एक थोक व्यापारी द्वारा अन्य थोक व्यापारी को चीनी की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

(10) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में स्थित चीनी फैक्ट्रियां बिक्री और प्रेषण के उपबंधों का अनुपालन करती हैं और वैध अवधि के अंदर ही समस्त मात्रा की बिक्री सुनिश्चित करती हैं।

(11) सभी चीनी फैक्ट्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी प्रकार के कागजी सौदों से बचने के लिए प्रथम क्रेता के नाम पर चीनी की बिक्री के ब्यौरों की प्रविष्टि करें।

खाद्यान्न उत्पादन

496. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1988-89 के दौरान देश में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन 172 मीट्रिक टन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बढ़े हुए इस अनुमानित उत्पादन का श्रेय विशेष धान कार्यक्रम तथा तकनीकी मिशन को जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष अधिक उत्पादन होने के बावजूद सरकार द्वारा

गत वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान धान की कम खरीद करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा धान की कम खरीद करने के कारण सरकार ने इस वर्ष चावल का आयात करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो चावल के आयात की मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1788–89 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 1720 लाख टन होने की आशा है।

(ख) सभी प्रमुख फसलों, अर्थात् चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, के संबंध में 1988–89 में खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। अनुमानित वर्धित उत्पादन का श्रेय पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम और 14 प्रमुख राज्यों में, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू करना तथा किसानों को उपलब्ध कराये गये अधिक सहायता और किसानों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रसार सेवा उपलब्ध कराने सहित सरकार द्वारा अपनाए गए प्रकारमक कार्यक्रमों और नीतियों को जाता है।

(ग) 1988–89 के विपणन मौसम से लेकर 13 जुलाई, 1989 तक के दौरान चावल के रूप में कुल अधिप्राप्ति 76.3 लाख मीटरी टन थी जबकि 1987–88 की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 68.2 लाख मीटरी टन थी। किसानों के स्वैच्छिक प्रस्ताव के आधार पर पर मूल्य समर्थन कार्यों के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति की जाती है जबकि मिल मालिकों और डीलरों पर सांविधिक लेवी के अन्तर्गत चावल की खरीद की जाती है। उत्पादक को यह विकल्प है कि वह अधिप्राप्ति मूल्य पर सार्वजनिक खरीद करने वाली एजेंसियों को धान बेचे अथवा खुले बाजार में जैसाकि उसके लिए लाभदायी हो।

(घ) चावल के समाप्त हुए भंडारों को भरने के लिए 5 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का निर्णय लिया गया है जिसमें से टूटे हुए थाई/विएतनामी चावल के 35 प्रतिशत के 3.76 लाख मीटरी टन के संविदा को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है।

आदिवासियों को अधिक मूल्यों पर चावल की बिक्री

497. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्य सरकारों की बजाय पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों में बिक्री के लिए चावल की पूर्ति करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों में आदिवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर चावल बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के राज्यों के नाम क्या हैं तथा विभिन्न राज्यों में चावल किस मूल्य पर बेचा जा रहा है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कितना अतिरिक्त मूल्य वसूल किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के मंत्री (श्री सुबोध राम) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार इस स्कीम को शुरू करने की तारीख से 7–8–1986 तक साधारण चावल के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य ले रही थी जबकि उस समय अनुमेय सीमा 185 रुपये प्रति क्विंटल थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत चावल की साधारण, बढ़िया और उत्तम